कार्यालय अंचल अधिकारी, खलारी, राँची।

प्रपत्र II

झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 6 की उप- धारा (2) के अधीन नोटिस की तामिला

अतिक्रमण वाद संख्या- 01/2022-23

(1) महाप्रबंधक, मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड के. डी. एच. डकरा।

आपके द्वारा मौजा- विश्रामपुर, खाता संख्या- 41, प्लॉट संख्या- 19, रकबा- 6.34 एकड़, मधे रकबा- 0.50 एकड़ (नक्शा की छायाप्रति सलंग्न) भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (c) के अधीन एक आदेश पारित किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि पाया गया है। आपको एतत् द्वारा 21/11/22 की अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

ध्यान रखें कि अवज्ञा किये जाने पर आप भारतीय दंड संहिता, 1860 (XLV वर्ष 1860) की दारा 188 द्वारा प्रावधानित शास्ति के दायी होंगे।

अनुलंग्कः- यथोक्त।

अंचल अधिकारी,
खलारी, राँची।

ज्ञापांक- 647(11) दिनांक- 21/10/22

प्रतिलिपिः- श्री गौरीशंकर केसरी, ग्राम- महावीर नगर, बुकबुका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विश्वजीत कुमार चौहान ग्राम- मोहन नगर, पो.- डकरा, थाना- खलारी, जिला- राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अंचल अधिकारी,
खलारी, राँची।
21/10/22

कार्यालय अंचल अधिकारी, खलारी(राँची)

नोटिस बनाम

अतिक्रमण वाद संख्या- 01/2022-23

महाप्रबंधक,

मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड के0डी0एच0, डकरा।

विषयः— सोनाडुब्बी नदी में की गयी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में।

प्रसंगः— उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, राँची के पत्रांक– 810(ii)/नजा0, दिनांक– 12.06.2023

बजरिये इस नोटिस से आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सोनाडुब्बी नदी, मौजा– विश्रामपुर, खाता सं0– 41, प्लॉट सं0– 19, रकबा– 6.34 एकड़ मधे रकबा– 0.50 एकड़ भूमि पर नदी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में 10 से 50 फिट अतिक्रमण कर रसायन मुक्त कोयला का Waste बहाया जा रहा है तथा नदी में 12 पिलर बनाकर एवं पुल बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

उक्त आलोक में 21.11.2022 तक पारित आदेश का अनुपालन करते हुए अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अबतक अतिक्रमण मुक्त नही किया गया है।

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, राँची के पत्रांक– 810(ii)/नजा0, दिनांक– 12.06.2023 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आपको पुनः आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर से पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें। अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाकर खर्च होने वाली राशि आपसे वसूल किया जायेगा।

(इसे सख्त ताकिद जाने)

अंचल अधिकारी,
खलारी, राँची।
26/06/23

O/C

कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, रांची।

(जिला नजारत शाखा)

पत्रांक 810(i)2 / नजा०

प्रेषित,

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
खलारी।

रांची, दिनांक 12/6/23

विषयः **मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड के०डी०एच०, डकरा से संबंधित अतिक्रमण वाद संख्य 01 / 2022–23, मौजा–विश्रामपुर, खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–19, रकबा–6.34 एकड़ मधे रकवा–0.50 एकड़ भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटाने हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः आपका पत्रांक 323(i) दिनांक 02.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड के०डी०एच०, डकरा से संबंधित अतिक्रमण वाद संख्या 01 / 2022–23, मौजा–विश्रामपुर, खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–19, रकबा–6.34 एकड़ मधे रकवा–0.50 एकड़ भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटाने हेतु 2,00,000.00 (दो लाख) रूपया आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में होने वाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकारी से ही किये जाने का प्रावधान है।

अतः इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

12/6/2023

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

12/06/23

जिला नजारत उप समाहर्त्ता

12/06/23

www.ganadesh.com
गणादेश
www.ganadesh.com
www.ganadeshlive.in
झारखंड
सोमवार 29 अप्रैल 2024

सोनाडुब्बी नदी ने रांची उपायुक्त से स्वयं को बचाने के लिए किया आवाह्न...पार्ट-2

खलारी (गणादेश) : सोनाडुब्बी नदी के बीचों बीच अतिक्रमण कर बनाये गये 12 अवैध पिलर को हटाने के लिए जब पूर्व अंचल अधिकारी शिशुपाल आर्य ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची से 2 लाख रुपये कि मांग किया तो उन्होंने अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर अपने जबाब में नियमानुसार जिला कार्यालय से पत्रचार करने की बात कही। फिर एसडीओ के आदेश का पालन करते हुए अंचल अधिकारी ने जिला नजारत उप समाहर्ता को पत्र लिखा तो उन्होंने उपायुक्त रांची से रुपये मांगने के लिए अनुरोध करने की बात कही। अंचल अधिकारी ने जब उपायुक्त रांची से रुपये आवंटन करने कि मांग किया तो उपायुक्त ने अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च कि वसूली अतिक्रमणकारी से वसूलने का प्रवधान बताते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। मालूम हो कि इस तरह के पत्राचार से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पत्राचार के दौरान घूमफिर का मामला रांची उपायुक्त कार्यालय तक ही पहुंचता है। मोनेट के जीएम द्वारा उपायुक्त रांची के न्यायलय में अतिक्रमण वाद संख्या 40आर15/2023-24 देवेन्द्र सिंह बनाम गौरीशंकर केशरी वगैरह के विरुद्ध अपील दायर होना यह दुर्भाग्य की बात है।

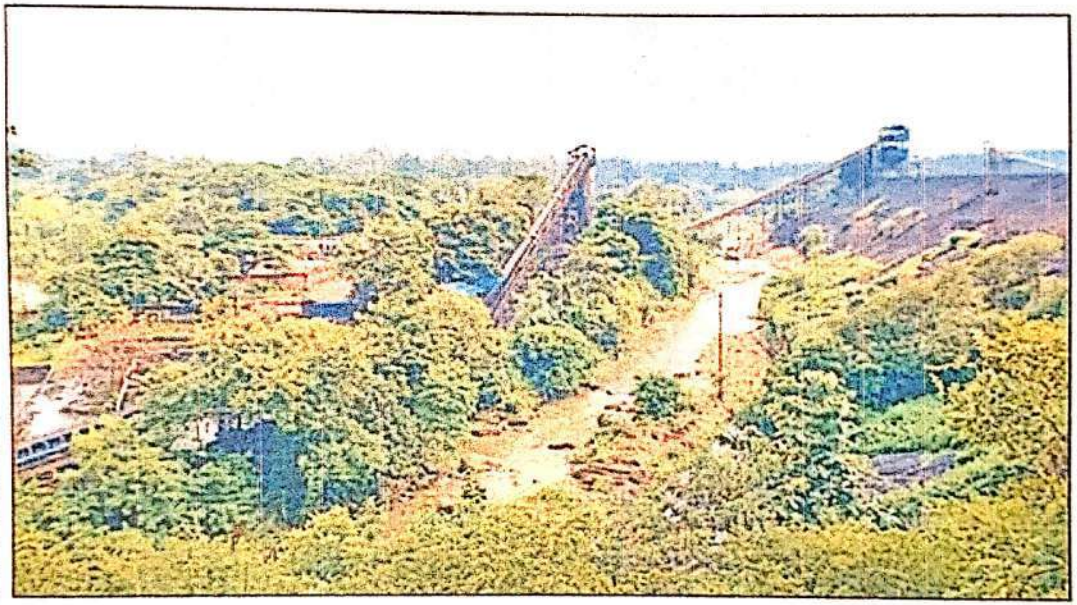

अंचल अधिकारी से मिले मार्गदर्शन के बाद मोनेट जीएम ने उपायुक्त न्यायालय में कराया अपिल दायर

पूर्व अंचल अधिकारी खलारी के द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को अतिक्रमण वाद संख्या 01/2022-23 में पारित आदेश के विरूद्ध मोनेट के जीएम देवेन्द्र सिंह ने उपायुक्त न्यायालय में शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपील दायर किया है। वही उपायुक्त रांची के कार्यालय में उक्त अपील वाद को दिनांक 18 अगस्त 2023 को अंगीकृत किया गया हैं। तत्पश्चात कथित अपील वाद की सुनवाई हेतु उपायुक्त रांची के न्यायालय में दिनांक 01 दिसंबर 2023 को समय 10:30 बजे रखा गया था। इधर कथित अपील वाद में निर्धारित तिथि पर गौरीशंकर केशरी वगैरह जब उपायुक्त न्यायालय पहुंचे तब से सुनवाई के नाम पर तारीख पर तारीख निर्धारित किया जा रहा है। इधर अंचल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्व अंचल अधिकारी शिशुपाल आर्य के मार्गदर्शन के बाद ही मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी के जीएम देवेन्द्र सिंह ने उपायुक्त रांची के न्यायलय में मोटी रकम खर्च करके अपिल दायर करवाया हैं। ताकि किसी तरह मामले को ठंडे बस्ते में डालकर लंबित रखा जा सकें । क्रमशः अगले अंक में.....

अंचल अधिकारी ने जब उपायुक्त रांची से रुपये आवंटन करने कि मांग किया तो उपायुक्त ने अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च कि वसूली अतिक्रमणकारी से वसूलने का प्रवधान बताते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही।

मालूम हो कि इस तरह के पत्राचार से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पत्राचार के दौरान घूमफिर का मामला रांची उपायुक्त कार्यालय तक ही पहुंचता है।

गणादेश www.ganadesh.com www.ganadeshlive.in झारखंड रविवार 28 अप्रैल 2024

सोनाडुब्बी नदी ने रांची उपायुक्त से स्वयं को बचाने के लिए किया आवाह

खलारी (गणादेश) : जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वह वृद्ध होता जाता है। पर मेरे जीवन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात-दिन की बिन परवाह किए मैं दौड़ते हुए अकेली ही बहती हूं, सिसकती हूं, मचलती हूं, कई मौकों पर गरजती हूं, उलझती हूं फिर भी हर रोज मंजिल की तरफ बढ़ती हूं, दिन-रात कल-कल की आवाज तो कभी छल-छल की संगीत सुनाती हूं, वृक्षों के साथ लुका-छिपी खेलती हूं, चट्टानों पर से कूदती हूं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए अपनी सहायक नदी दामोदर में मिल जाती हूं। मैं सदैव अपनी सीमा में रहकर अमृत समान स्वच्छ जल धारा से रास्ते में आने वाले हर प्राणी की प्यास बुझाती हूं। धरती को हरी-भरी कर देती हूं। मगर सीसीएल एनके एरिया का खदान विस्तारीकरण के दौरान मुझे (सोनाडुब्बी नदी) कई बार छेड़छाड़ कर मेरी धारा बदल दी गई। साथ ही खदान से निकाले गए ओबी भी मेरे तट के किनारे लाकर डंप किया गया, जिससे बारिश के दिनों में वही ओबी से निकले मिट्टी-पत्थर बहकर मुझ में समाहित

होती गई और मेरी गहराई खत्म होती चली गई। दूसरी और मेरे एक तट के किनारे केडीएच रेलवे साईडिंग बना हुआ है, तो दूसरे तट किनारे अवैध लंबी चहारदीवारी निर्माण कराते हुए मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा रिजेक्शन कोयला स्टॉक किया जाता है। साथ ही नदी में अतिक्रमण करके मेरी चौड़ाई को कम एवं नदी के बीचों बीच अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए 12 पिलर खड़े कर दिये गये है, जिससे मैं संकीर्ण हो गई हूं। मेरे तट के किनारे कोयला स्टॉक एवं रेलवे साईडिंग से मैं प्रतिदिन दूषित हो रही हूं। मैं हमेशा दूसरों की भलाई और परमार्थ का कार्य करती आई हूं लेकिन मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राइवेट लिमिटेड की लापरवाही से मैं प्रतिदिन प्रदूषित हो कर तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊंगी। कल-कल बहती अविरल धारा की आवाज करते हुए मैं (सोनाडुब्बी नदी) रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से स्वयं को बचाने के लिए अतिक्रमण से संबंधित आपके टेबुल पर धूल फांक रही फाइल को खुलवाने का आवाहन करती है।

सोनाडुब्बी नदी से अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व सीओ ने एसडीओ से मांगा था 2 लाख रुपये

सोनाडुब्बी नदी की बदहाली को देखकर क्षेत्र के जागरूक नागरिक में समाजसेवी गौरी शंकर केसरी एवं गणादेश संवाददाता विश्वजीत चौहान ने तत्कालीन अंचल अधिकारी शिशुपाल आर्य से सोनाडुब्बी नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लिखित शिकायत दिया था। तत्पश्चात शिकायत के आलोक में पूर्व अंचल अधिकारी (सीओ) शिशुपाल आर्य के द्वारा किया गया कार्रवाई के आलोक में शिकायतकर्ता को समर्पित जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया की मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड केडीएच डकरा के द्वारा सोनाडुब्बी नदी खलारी अंचल के मौजा बिश्रामपुर, खाता संख्या 41, प्लॉट संख्या 19, रकबा 6.34 एकड़ मधे रकबा में से 0.50 एकड़ भूमि पर नदी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में 10 से 50 फिट अतिक्रमण कर स्लरी मुक्त कोयला का वेस्ट बहाया जा रहा है तथा सोनाडुब्बी नदी में 12 पिलर एवं पुल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही पूर्व अंचल अधिकारी ने रांची अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने के लिए 2 लाख रुपये का मांग किया था। क्रमशः अगले अंक में....

प्रभात खबर - 02/12/2023

सोनाडुबी में रहनेवाले मल्लाह बताते हैं कि 40 के दशक में खलारी सीमेंट कारखाना की स्थापना के समय यहां आये थे उनके पूर्वज

सोनाडुबी नदी पर आश्रित हैं दो गांवों के मल्लाह

प्रतिनिधि, खलारी

नदी के दोनों किनारे सीढ़ी बनाने की मांग, ग्रामीणों ने नदी में गंदगी बहाने पर रोक लगाने की मांग की

सोनाडुबी नदी के किनारे बसी दो बस्तियों हुटाप पंचायत अंतर्गत डेमधौड़ा और दूसरा नायक टोला जेहलीटांड़ के मल्लाह परिवार कभी अपनी रोजी-रोटी के लिए उक्त नदी पर आश्रित थे. चान्हो-खलारी की सीमा से निकलकर दामोदर में मिलनेवाली सोनाडुबी के किनारे बस्तियों में रहनेवाले मल्लाह बताते हैं कि 40 के दशक में खलारी-सीमेंट कारखाना के स्थापना के समय उनके पूर्वज यहां आये थे. तब सोनाडुबी नदी में काफी पानी हुआ करता था. प्रतिदिन लोग पांच से छह किलो तक मछली मार लिया करते थे. इसे हाट बाजार में बेचकर उनका परिवार चल जाता था. परंतु अब दिनभर में एक पाव मछली मारना भी मुश्किल हो गया है. जेहलीटांड़ नायक टोला के निकट सात से आठ फिट तक पानी का जमाव हुआ करता था. आज नदी की सतह का पत्थर बाहर उभर आया है. मुश्किल से दो फिट भी पानी नहीं रहता है. पहाड़ों से आयी गाद-मिट्टी से नदी भर गयी है. वहीं आसपास बसी नयी बस्तियों में रहनेवाले लोग घरों की गंदगी नदी में ही बहा दे रहे हैं. ऐसे लोगों में सोनाडुबी नदी को लेकर कोई जागरूकता नहीं है. एक समय था जब सोनाडुबी के बाढ़ का पानी जेहलीटांड़ के कई घरों में घुस जाया करता था. इधर कई वर्षों से इसमें वैसी बाढ़ नहीं आयी है. नायक टोला निवासी सीताराम नायक का कहना है कि जेहलीटांड़ के निकट सोनाडुबी के बांध का फाटक टूट गया, जिससे काफी मात्रा में गाद और मिट्टी जेहलीटांड़ के निकट आकर जमा हो गया. फाटक को ठीक कर सफाई कर दिया जाये तो जेहलीटांड़ के निकट नदी की स्थिति ठीक हो जायेगी. सुबोध नायक ने सोनाडुबी नदी की सफाई के साथ जेहलीटांड़ में नदी के दोनों किनारे सीढ़ी बनाने की मांग की है. साथ ही नदी में गंदगी बहाने पर रोक लगाने को कहा है. इससे फिर से सोनाडुबी यहां के मल्लाहों के लिए रोजगार का साधन बन सकेगी. डेमधौड़ा के मदुसूदन नायक बताते हैं कि उनके दादा चोरेया से आये थे. सोनाडुबी में मछली की बहुलता देख यहीं बस गये. लेकिन सोनाडुबी नदी की किसी ने परवाह ही नहीं की. उनकी तीसरी पीढ़ी को आज मछली खरीदकर बेचना पड़ रहा है. शकुंतला देवी बताती हैं कि छोटे बच्चे भी रोज एक-डेढ़ किलो मछली पकड़ लिया करते थे. वे कहती हैं कि न जाने इस जीवनदायी नदी पर किसकी नजर लग गयी. अब तो दोनों बस्ती के लोग बाहर से मछली खरीदकर बेचते हैं.

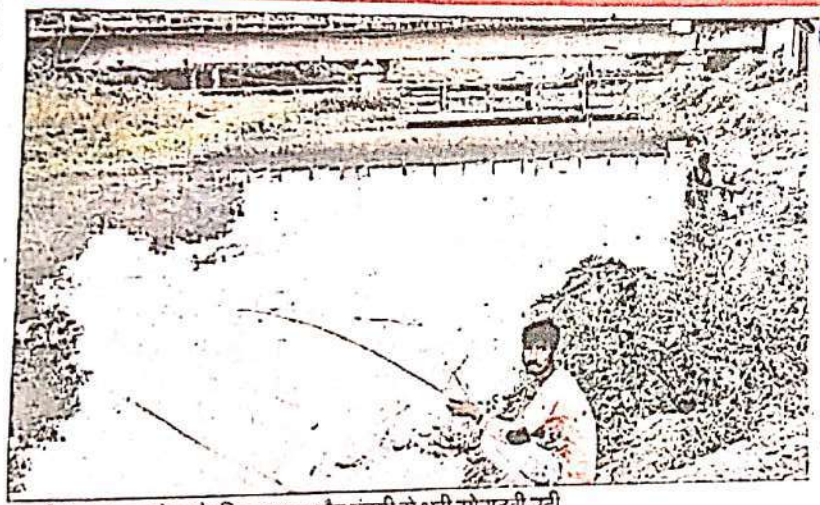

जेहलीटांड़ नायक टोला के निकट गाद और गंदगी से भरी सोनाडुबी नदी.

डेमधौड़ा मल्लाह बस्ती के निकट सोनाडुबी नदी का हाल.

दैनिक जागरण
1[illegible]/09/2023

3.0° | सूर्य अस्त (आज) 05:59 उदय (कल) 05:34 | आर्द्रता 96% 91% अधिकतम न्यूनतम | रांची जागरण | www.jagran.com रांची, 1

नदी पर आश्रित थी मल्लाहों की बस्तियां, अब रोजी–रोटी पर आफत

सोनाडुबी को बचाना है

संसू, खलारी : सोनाडुबी नदी के किनारे बसी दो बस्तियों के मल्लाह परिवार कभी अपनी रोजी–रोटी के लिए इस नदी पर आश्रित थे। चान्हो-खलारी की सीमा से निकलकर दामोदर में मिलने वाली सोनाडुबी के किनारे दो मलाहों की बस्तियां हैं। एक बस्ती हुटाप पंचायत अंतर्गत डेमघोड़ा के नाम से जानी जाती है, तो दूसरी नायक टोला जेहलीटांड़ है।

इन बस्तियों में रहने वाले मल्लाह बताते हैं कि 40 के दशक में खलारी सीमेंट कारखाना के स्थापना के समय उनके पूर्वज यहां आए थे। तब सोनाडुबी नदी में काफी पानी हुआ करता था। प्रतिदिन लोग पांच से छह किलो तक मछली मार लिया करते थे। इसे हाट-बाजार में बेचकर उनका परिवार चल जाता था। परंतु, अब दिनभर में एक पाव मछली मारना भी मुश्किल हो गया है। जेहलीटांड़ नायक टोला के निकट सात से आठ फीट तक पानी का जमाव हुआ करता था। आज नदी की सतह का पत्थर बाहर उभर आया है। मुश्किल से दो फीट भी पानी नहीं बचा है। पहाड़ों से आई गाद मिट्टी से नदी भर गई है। वहीं, आसपास बसी नई बस्तियों में रहने वाले लोग घरों की गंदगी नदी में ही बहा दे रहे हैं। इससे नदी का पानी और गंदा हो गया है। ऐसे गांव के लोगों में सोनाडुबी नदी को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। एक समय था जब सोनाडुबी के बाढ़ का पानी जेहलीटांड़ के कई घरों में घुस जाया करता था। इधर, कई वर्षों से इसमें वैसी बाढ़ नहीं आई।

डेमघोड़ा मलाह बस्ती के निकट नाले जैसी नजर आ रही सोनाडुबी नदी ● जागरण

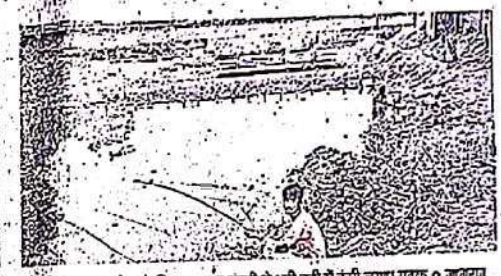

जेहलीटांड़ नायक टोला के निकट गाद व गंदगी से भरी नदी में बंसी लगाए युवक ● जागरण

जेहलीटांड़ के निकट सोनाडुबी के बांध का फाटक टूट गया है। इससे काफी मात्रा में ग्राद और मिट्टी जेहलीटांड़ के निकट आकर जमा हो गई। फाटक को ठीक कर सफाई कर दी जाए, तो जेहलीटांड़ के निकट नदी की स्थिति ठीक हो जाएगी।
–सीताराम नायक, जेहलीटांड़

सोनाडुबी नदी की सफाई के साथ जेहलीटांड़ में नदी के दोनों किनारे सीढ़ी बनाई जानी चाहिए। साथ ही नदी में गंदगी बहाने पर रोक लगाई जाए, ताकि नदी पुन: अपने पुराने रंग में लौट सके। इससे फिर से सोनाडुबी यहां के मलाहों के लिए रोजगार का साधन बन सकेगी।
–सुबोध नायक, नायक टोला

मेरे दादा चान्हो प्रखंड के बोरेया गांव से यहां आए थे। सोनाडुबी में मछली की बहुलता देख यहीं बस गए। पर, सोनाडुबी नदी की किसी ने परवाह ही नहीं की। उनकी तीसरी पीढ़ी को आज मछली खरीदकर बेचना पड़ रहा है।
– मधुसूदन नायक, डेमघोड़ा

छोटे बच्चे भी रोज एक–डेढ़ किलो मछली पकड़ लिया करते थे। पर, न जाने इस जीवनदायी नदी पर किसकी नजर लग गई। अब तो दोनों बस्ती के लोग बाहर से मछली खरीदकर लाते हैं और बेचते हैं।
–शकुन्तला देवी, ग्रामीण

- पहले लोग नदी में प्रतिदिन पांच से छह किलो तक मछली मारते थे
- बस्तियों की गंदगी अब बह रही है नदी में, प्रदूषित हुआ पानी

पानी के लिए सोनाडुबी किनारे बसा था भूतनगर

भूतनगर बस्ती के लोग कभी सोनाडुबी में पानी को देखकर बसे थे। कोयला खान के कारण विस्थापित हुए कई परिवारों ने सोनाडुबी नदी के किनारे बसने का निर्णय लिया था। अनेक वर्षों तक सोनाडुबी नदी ने उनके पानी की जरूरत को पूरा भी किया। इस नदी से उनके परिवारों का भरण–पोषण तक हुआ। कई बार तो नदी किनारे स्थित घरों को बाढ़ से नुकसान भी हुआ। परंतु, अब सोनाडुबी में पानी ही नहीं है। भूतनगर के लोग वैकल्पिक संसाधन से अपनी पानी की जरूरत पूरा कर रहे हैं।

शहर के जलाशयों में कचरा फेंकने पर लगेगा

नौ महीने बाद मिला कोरोना मरीज, सैंपल भेजा जाएगा भुवनेश्वर

समाचार

अब बेड पर होगा इलाज, डेंगू वार्ड

जासं, रांची : रिम्स में मरीजों का

दैनिक जागरण 12/03/2023

जागरण

www.jagran.com

अतिक्रमण और पत्थरों के खनन में 'डूबी' सोनाडुबी

सोनाडुबी को बचाना है

• चान्हो व खलारी के पहाड़ों से निकली दामोदर की सहायक नदी

• कभी सीमेंट फैक्ट्री का चार मेगावाट का विद्युत संयंत्र था आश्रित नदी पर

धीरेंद्र प्रसाद • खलारी

खलारी से होकर बहने वाली दामोदर की सहायक नदी सोनाडुबी अब नदी से नाले में तब्दील हो गई है। पहाड़ों से आती मिट्टी और पत्थर ने सोनाडुबी को बेदम तो किया ही, औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने के कारण इसके प्राकृतिक स्वरूप से भी छेड़छाड़ की गई।

रांची जिले के चामा (चान्हो प्रखंड) व हुटाप (खलारी प्रखंड) के पहाड़ों से निकली सोनाडुबी नदी खलारी कोयलांचल से गुजरते हुए देवनद दामोदर में मिल जाती है। यहां कभी एसीसी लिमिटेड के खलारी स्थित सीमेंट कारखाना का चार मेगावाट का ताप विद्युत संयत्र आश्रित था। पर, आज यह नदी नाले जैसा दिखने लगी है। सोनाडुबी नदी मोनेट डेनियल कोल वाशरी की कैद में आकर काली हो गई है। बरसात में बाढ़ आती थी। पर, इस वर्ष जलस्तर बढ़ा भी तो दो-तीन घंटे में अपनी जगह पर आ गया।

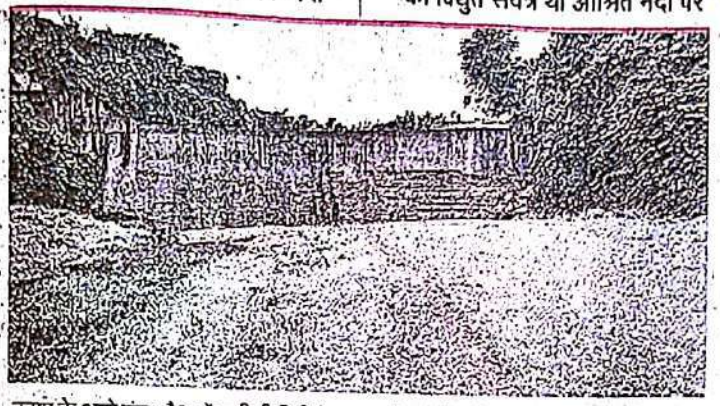

हुटाप के आगे मुंडा घौड़ा में एसीसी लिमिटेड द्वारा सोनाडुबी पर बनाया गया बांध • जागरण

पहाड़ों से पत्थरों के खनन से भरता जा रहा पहाड़ों का मलबा

खलारी और चान्हो की सीमा पर पहाड़ों से पत्थरों का खनन ही सोनाडुबी का अस्तित्व मिटाने में सहायक हो रहा है। पत्थर निकल जाने से मिट्टी और छोटे-छोटे पत्थर के रूप में पहाड़ का मलबा नदी में आने लगा। इससे नदी की गहराई कम होती गई। इससे पहाड़ी जलस्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। पत्थर निकालने वाले रोजगार के नाम पर पहाड़ों से पत्थर निकालते रहे। नदी पर इसका क्या असर होगा यह किसी ने नहीं सोचा।

चालीस के दशक में थर्मल पावर के लिए बना था बांध

चालीस के दशक में हुटाप के मुंडाघौड़ा के निकट एसीसी कंपनी ने सोनाडुबी नदी पर बड़ा बांध बनाया था। लगभग 30 फीट ऊंचा बांध आज भी बरकरार है। इस बांध से सोनाडुबी का पानी रोककर कारखानों के थर्मल पावर प्लांट को भेजा जाता था। परंतु, आज देखरेख के अभाव में बांध पूरा भर गया है। पहाड़ों से आई मिट्टी, पत्थर व बालू से पूरा बांध भर गया है। अब यहां पानी का स्टाक नहीं होता है। नदी का पानी सीधे बांध के ऊपर से दूसरी ओर नीचे गिर जाता है।

संकट गहराया, कोल वाशरी की कैद में हो गई काली

खलारी के केडीएच में एमडीसीडब्ल्यू लिमिटेड की वाशरी स्थापना से सोनाडुबी नदी का संकट और गहरा गया। सोनाडुबी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा यह वाशरी से निकलने के बाद नदी का हाल देखकर समझा जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने चेतावनी भी दी लेकिन स्थिति जस की तस।

सोनाडुबी को लेकर सजग है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

सोनाडुबी नदी की दुर्दशा को देख नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सजग है। एनजीटी के आदेश पर उपायुक्त व केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों ने मोनेट वाशरी पहुंचकर नदी का हाल देखा है और मोनेट प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त के आदेश के आलोक में मोनेट प्रबंधन का प्रयास सोनाडुबी को निर्मल रखने में कितना सहायक होगा यह देखना होगा।

दामोदार की सहायक नदी सोनाडुबी, जिसमें पानी नहीं सिर्फ ककड़-पत्थर है।

पूर्व में बांध में पानी भरा होता था। थर्मल पावर इसी से चलता था। पत्थर खनन से संकट में आ गई है। रोकने वाला कोई नहीं है। यदि नदी रखरखाव ठीक से होता तो तो गर्मी में परेशानी नहीं होती।
-लारेंस मिंज, खलारी

हुटाप निवासी कृपादास करीब ढाई दशक से सोनाडुबी को देख रहे हैं। बांध के निकट ही उनका घर है। बताते हैं कि कभी नदी के पानी का आवक घर तब सुनाई देता था। लेकिन, इधर कई वर्षों से इसमें बाढ़ नहीं आई है।-कृपा दास

दामोदर की सहायक नदी सोनाडुबी संकट में, अब दूषित हो गया है पानी

लापरवाही

खलारी. खलारी-चान्हो की सीमा से शुरू होकर खलारी में ही दामोदर में मिलनेवाली उसकी सहायक नदी सोनाडुबी संकट में है. कभी निर्मल रहनेवाला सोनाडुबी का पानी आज दूषित हो गया है. जेहलीटांड़ स्थित छलटा पुल सहित कई जगहों पर दूषित होने के कारण नदी के पानी से दुर्गंध उठने लगी है. सोनाडुबी के आसपास बसी कई बस्तियों व गांव के लोग सोनाडुबी पर आश्रित रहे हैं. 40 के दशक में एसीसी लिमिटेड के सीमेंट कारखाना का ताप विद्युत संयत्र सोनाडुबी के पानी पर ही निर्भर था. मुंडा टोली और जेहलीटांड़ में सोनाडुबी नदी में बांध बनाया गया था. जिससे पानी को स्टॉक किया जाता था. हुटाप के पहाड़ियों में पत्थरों के अवैध खनन के कारण मिट्टी बहकर सोनाडुबी को भरती गयी. सीसीएल प्रबंधन ने तो अपने खदान के अनुसार नदी की धारा ही बदल दी. इधर मोनेट कोल वाशरी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा. सोनाडुबी नदी को वाशरी के कैंपस में ले लिया गया. कई बार कोयला खदानों का गंदा पानी भी सोनाडुबी नदी में बहा दिया जाता है. गहराती खानों के कारण खलारी में जल संकट हमेशा रहता है. ऐसे में सोनाडुबी नदी के किनारे व आसपास बसे नायक बस्ती, मुखिया धौड़ा, बाजारटांड़ आदि जगहों के ग्रामीण नदी में चुंआड़ी बनाकर पीने के लिए पानी ले जाया करते हैं. उल्लेखनीय है कि विशाल नकटा पहाड़ की गोद तथा आसपास इलाकों से निकली सोनाडुबी नदी खलारी में आने से पहले तक निर्मल है. पर नदी किनारे बढ़ते अतिक्रमण और सीसीएल से बढ़ते प्रदूषण के कारण वह दूषित हो चुका है. अब सोनाडुबी नदी का पानी पीने या अन्य उपयोग के अनुकूल नहीं बचा है.

सोनाडुबी नदी में बहता मोनेट व खदान का गंदा पानी.

प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सजग

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सोनाडुबी के प्रदूषण को लेकर सजग है. हाल ही में एनजीटी के आदेश के आलोक में मोनेट कोल वाशरी का निरीक्षण करने आये उपायुक्त व केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों ने सोनाडुबी को लेकर मोनेट प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया है.

सोनाडुबी के प्रदूषण को ठीक किया जायेगा : बीडीओ

बीडीओ लेखराज नाग ने कहा कि अवैध उत्खनन और उद्योग प्रदूषण के कारण सोनाडुबी नदी में जो प्रदूषण हुआ है, उसे ठीक करना एक व्यापक कार्य है. इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग कर ग्रामसभा से योजना पारित कराना होगा और डीएमएफटी मद से कार्य कराना होगा. सीओ एसपी आर्य ने बताया कि नदी किनारे अवैध अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण को लेकर बेहतर कार्ययोजना बनाने की जरूरत है. इसको लेकर जिला को सूचना भेजी गयी है. उन्होंने बताया कि जिला से मिले निर्देश के आधार कार्य किये जायेंगे.

प्रभात खबर Sun, 20 August 2023
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/73244974

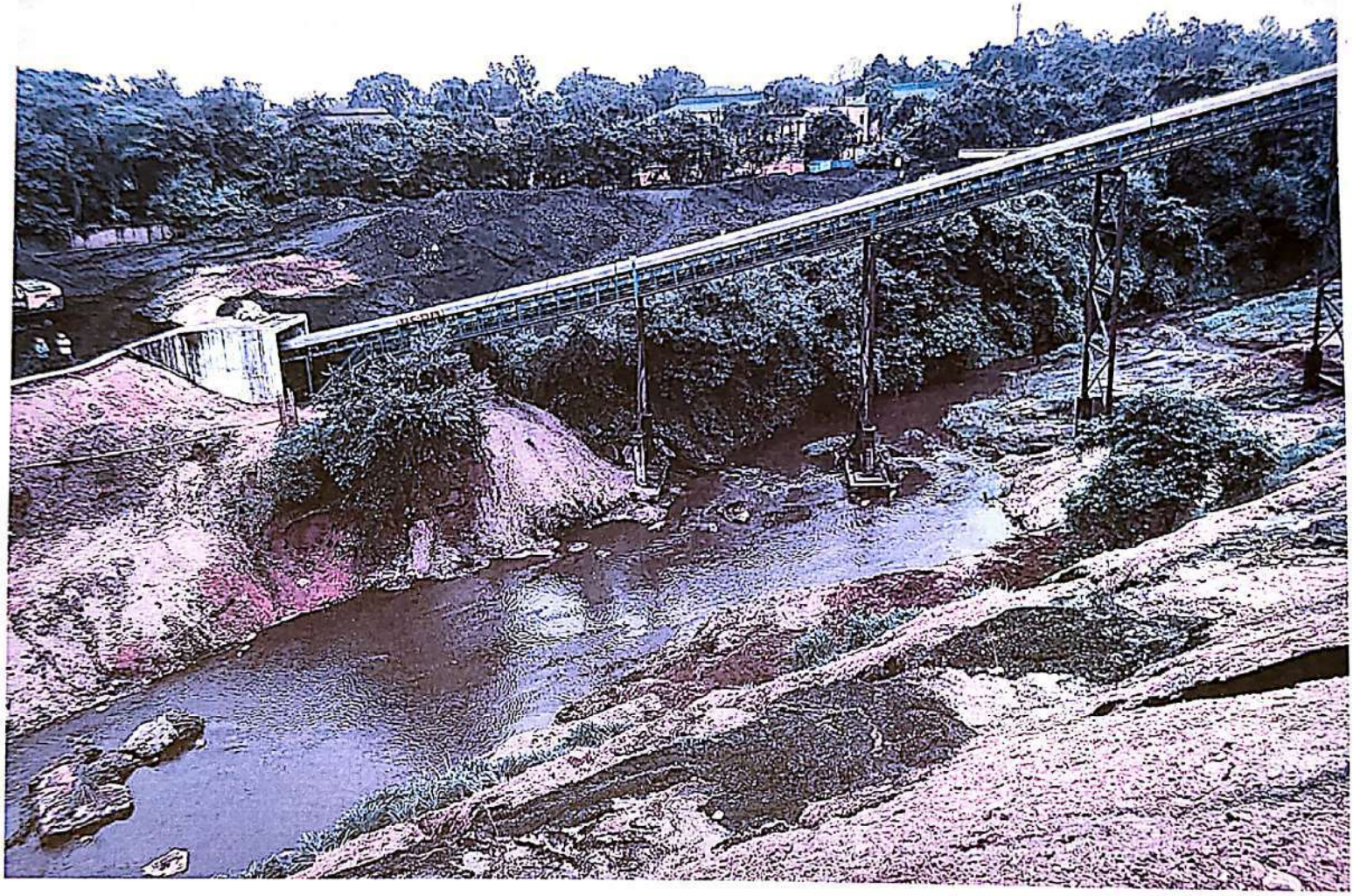

नदी के बिचों बिच सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर अवैध ढंग से 12 बड़े - बड़े पिलर का अवैध निर्माण कर दिया गया है।

झारखण्ड

रांची, रविवार, 9 अप्रैल 2023 | पेज 4

मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लि. ने किया सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

रविन्द्र कुमार @प्रभात मन्त्र

खलारी : मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड ने सरकारी जमीन पर बिना लगान व लीज लिए हुये कई वर्षों से कब्जा जमाकर अपना धंधा चला रहा है. इस अवैध कब्जे वाले भूमि पर खलारी अंचलाधिकारी के समक्ष कई समाजसेवी ने भी मुद्दा उठाया है. समाजसेवी के द्वारा उठाये गए मुद्दे पर खलारी अंचलाधिकारी के द्वारा उक्त मोनेट परिसर के आवंटन वाले भूमि का जांच कई बार किया गया. अंचलाधिकारी के जांच में उक्त भूमि पर मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड ने सरकार का (गैरमजरूआ भूमि) 50 डिसमिल से ज्यादा भूमि पर अवैध कब्जा जमाये हुये है. मोनेट के अवैध कब्जे वाले जमीन पर खलारी अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्या ने नोटिस कर अवैध कब्जा वाले जमीन को मुक्त करने का आदेश मोनेट को

दिया गया था. खलारी सीओ के आदेश को मोनेट नजरअंदाज करते हुए उक्त परिसर को खाली नही किया. बताया जाता है कि अवैध कब्जे वाले जमीन पर मोनेट कोलवाशरी का प्लांट का 12 पिलर खड़ा है.

मोनेट डेनियल कोलवाशरी ने अवैध 12 पिलर लगाया

विश्रामपुर, खाता संख्या 41, प्लॉट संख्या 19, रकबा 6.34 एकड़ रकबा 0.50 एकड़ लगभग भूमि पर मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड के. डी. एच. डकरा द्वारा किये गए. अतिक्रमण को हटाने हेतु आदेश पारित किया गया है. साथ ही साथ उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिया गया है. परन्तु अभी तक उनके द्वारा अतिक्रमण हटाकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित नहीं किया गया है. स्थानीय जाँच में पाया गया कि वर्तमान में अतिक्रमण है. चूंकि उक्त भूमि पर लोहे के बड़े- बड़े 12 पीलर बने हुये हैं, जिस पर वाश कोल को ले जाने के लिये बेल्ट लगा हुआ है जिसे जे. सी. बी. के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है.

खलारी सीओ ने मोनेट पर पत्र जारी कर की कार्रवाई

अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के द्वारा प्रपत्र II झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत (1) महाप्रबंधक, मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी लिमिटेड के. डी. एच. डकरा, में आपके द्वारा मौजा- विश्रामपुर, खाता संख्या- 41, प्लॉट संख्या- 19, रकबा - 6.34 एकड़, मधे रकबा 0.50 एकड़ (नक्शा की छायाप्रति सलंग्न) भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (c) के अधीन एक आदेश पारित किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि पाया गया है.आपको एतत् द्वारा 2.11.22 की अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है. अंचलाधिकारी व डीसी एसडीओ की जाँच होने के बाउजूद भी अवैध कब्जा नही हट पा रहा है कही न कही मोनेट के पोषित माफिया य सफेदपोश लिप्त तो नहीं?।

चेतावनी ● सोनडूबी नदी की 15 फीट जमीन पर किया गया है अतिक्रमण

खलारी अंचल जल्द करेगा कार्रवाई

प्रतिनिधि ▷ डकरा

केडीएच स्थित मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्रबंधन ने भूतनगर बस्ती के पीछे से गुजरी सोनाडूबी नदी का 15 फीट हिस्सा अतिक्रमण कर इसे नाले के रूप में बदल दिया है. मोनेट प्रबंधन ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है. दो वर्ष पहले जांच के बाद मोनेट को यह बता दिया गया था कि नदी की स्वभाविक चौड़ाई क्या है. उस समय अतिक्रमण हटा कर नदी को चौड़ा भी किया गया था, लेकिन एक बार फिर उसी तरह का अतिक्रमण कर दिया गया है. यह जानकारी खलारी अंचल पदाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद अमीन भेज कर नदी की चौड़ाई की मापी करायी गयी है. जो रिपोर्ट अमीन द्वारा की गयी है उससे स्पष्ट है कि नदी के दोनों छोर से 15 फीट अतिक्रमण हुआ है. इसके अलावा पिछले निर्देश के बाद नदी के किनारे जो गार्डवाल बनाया गया था वह दीवार भी टूटा हुआ है. कोयला नदी में गिरा हुआ है जिससे कई जगह पानी का बहाव भी रुक गया है. वाशरी और प्लांट के बीच लगा कनवेयर बेल्ट का पीलर भी नदी के बीच में है जिसके कारण पानी का बहाव रुकता है. पिछले कई साल से बरसात में भूतनगर बस्ती के डूबने का कारण नदी का अतिक्रमण है. इसलिए जल्द ही वाशरी प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की पहल की जायेगी.

दोनों छोर से किया गया है नदी का अतिक्रमण.

HYUNDAI

रांची, 27 अगस्त, 2024 दैनिक जागरण 7

सोनाडुबी नदी को प्रदूषित होने से बचाएं : समीर

संसू, जागरण • खलारी : झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने खलारी कोयलांचल का दौरा किया। सोमवार को शाम पांच बजे समिति खलारी के सीसीएल एनके एरिया वीआइपी गेस्ट हाउस पहुंची। यहां समिति के सभापति समीर मोहंती, सदस्य समरीलाल, झारखंड विधानसभा के अवर सचिव रविशंकर प्रसाद ने अंचल अधिकारी खलारी प्रणव अम्बष्ट, बीडीओ संतोष कुमार, कोल परियोजनाओं के परियोजना पदाधिकारी, मोनेट डेनियल कोल वासरी के महाप्रबंधक से क्षेत्र के पर्यावरण व प्रदूषण को लेकर पूछताछ किया।

इसके बाद समिति व साथ आए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी सीधे मोनेट डेनियल कोल वासरी पहुंचे। वहां उन्होंने वासरी परिसर में प्रवेश करती सोनाडुबी नदी, वासरी के अंदर नदी का हाल तथा वासरी से बाहर निकलती नदी का हाल देखा। वासरी मुख्य द्वार के निकट पुल पर पसरे कीचड़ को देखकर समीर मोहंती विफर पड़े। उन्होंने केडीएच पीओ को तत्काल इसे दुरूस्त करने कहा ताकि आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी न हो। कहा कि वासरी के कारण कोयले का काला पानी नदी में घुल रहा है। आगे जाकर दूसरी नदी को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि खलारी कोयलांचल के हाल से संबंधित रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेंगे। विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति इसके बाद वापस लौटने के क्रम में खलारी सीमेंट कारखाना का हाल देखने पहुंची। परंतु वहां कारखाना गेट से ही वापस लौट गई। उन्होंने समीर मोहंती व समरीलाल ने कहा कि क्षेत्र के उद्योग सुनिश्चित करें कि वायु व जल प्रदूषण से किसी भी नागरिक या खेती को नुकसान न हो। ऐसा पाया गया तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

खलारी में वासरी महाप्रबंधक को निर्देश देते समीर मोहंती व समरीलाल • जागरण

www.ganadesh.com RNI-No:39661/84

गणादेश

साप्ताहिक अखबार

आप की ताकत आप का सन्देश

वर्ष 40, अंक 76 गुरुवार 22 - 28 अगस्त 2024 पेज 12, मूल्य 5 रुपया

हुजूर.. मुझे बचाइए...कोयलांचल की सोनाडुब्बी नदी ने स्वयं को बचाने का किया आह्वान

विश्वजीत चौहान

खलारी (गणादेश) : जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वह बूढ़ा होता जाता है। पर मेरे जीवन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं आज भी दौड़ते हुए आगे बढ़ती हूं। दिन-रात कल-कल का संगीत सुनाती हूं, वृक्षों के साथ लुका-छिपी खेलती हूं, चट्टानों पर से कूदती हूं और अपनी मंजिल की तरफ बढते हुए अपनी सहायक नदी दामोदार में मिल जाती हूं। मैं सदैव अपनी सीमा में रहकर अमृत समान स्वच्छ जल धारा से रास्ते में आने वाले हर प्राणी की प्यास बुझाती हूं। धरती को हरी-भरी कर देती हूं। मगर सीसीएल का खदान विस्तारीकरण के दौरान मुझे (सोनाडुब्बी नदी) कई बार छेड़छाड़ कर मेरी धारा बदल दी गई। साथ ही, खदान से निकाले गए ओबी भी मेरे तट के किनारे लाकर डंप किया गया, जिससे बारिश के दिनों में वही ओबी से निकले मिट्टी-पत्थर बहकर मुझ में समाहित होती गई और मेरी गहराई खत्म होती चली गई। साथ ही मेरे एक तट के किनारे केडीएच रेलवे साइडिंग बना हुआ है तो दूसरे तट किनारे अवैध रूप से लंबी चहारदीवारी निर्माण, जहां मोनेट का रिजेक्सोन कोयला स्टॉक किया जाता है। जब मेरी इस बदहाली को देखकर पूर्व अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा एवं शिशुपाल आर्य को लिखित शिकायत दिया गया तो उन्होंने पाया कि मोनेट कंपनी ने अपने निजी फायदे के लिए मेरी तट किनारे अतिक्रमण करते हुए मेरी चौड़ाई को कम कर दिया है, जिससे मैं संकीर्ण हो गई हूं। मैं हमेशा दूसरों की भलाई और परमार्थ का कार्य करती आई हूं, लेकिन मोनेट प्रबंधन की लापरवाही से मैं प्रतिदिन प्रदूषित हो कर तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊंगी। कल-कल बहती अविरल धारा की आवाज करते हुए मैं मुख्य मंत्री झारखंड, राज्यपाल झारखंड, कैबिनेट सचिव भारत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद नई दिल्ली, एनजीटी भारत, गृह मंत्री भारत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदया भारत, प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली एवं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डी वाई चन्द्रचुड साहब से मैं स्वयं को बचाने का आवाहन करती है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 15.5 एकड़ जमीन सीसीएल को लीज पर दी थी। सीसीएल ने इस जमीन को पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सबलीज कर दिया। जिसके बाद उक्त भूमि पर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मोनेट कंपनी को वाशरी बनाने और उसके संचालन की जिम्मेदारी दे दी। इस भूमि पर करीब 18 साल से वाशरी चल रही है। इसके एवज में सीसीएल सालाना लाखो रुपए पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से किराया वसूलता है। लेकिन सोनाडुब्बी नदी के तट पर सीसीएल और पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलत नीति ने नदी को नाले में तब्दील कर दिया है। इस और ध्यान न तो खलारी अंचल अधिकारी को है, न तो रांची उपायुक्त व न ही झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव के अलावे अन्य और भी संबंधित विभाग के अधिकारियों का है।

प्रभात खबर
रांची, गुरुवार
05.12.2024 | 05

जलाशयों के अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्रवाई करें

डीसी ने दिया निर्देश

मुख्य संवाददाता, रांची

डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण व प्रदूषण मुक्त कराने को लेकर बैठक हुई. इसके लिए टास्क फोर्स के गठन पर चर्चा हुई. डीसी ने शहरी क्षेत्र के सभी जल स्रोतों के मूल नक्शा को आधार बनाकर भूमि व आसपास की सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण व अवैध निर्माण को चिह्नित करने का निर्देश दिया. अधिकारियों को भुसूर नदी, हिनू नदी, कांके डैम सहित सभी जगह जहां अतिक्रमण है, वहां पर कार्रवाई करने को कहा.

डीसी ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद स्पष्ट सीमांकन करें, जिससे दोबारा इस क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं हो. अगर कोई अतिक्रमण करता भी है, तो आसानी से इसे चिह्नित किया जा सकता है. वहीं, ऐसे क्षेत्रों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करें. बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, अपर नगर प्रशासक (नगर निगम) संजय कुमार, उप समाहर्ता संजय कुमार उपस्थित थे.

डीसी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए.

शहीद आवास का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश

रांची. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इसमें साइकिल वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्री मैट्रिक छात्रवृति, शहीद ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना व कल्याण विभाग के छात्रावास (एसटी/एससी/अल्पसंख्यक) की मरम्मत व जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली. इसके बाद पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये. शहीद ग्राम विकास योजना की समीक्षा कर निर्माणाधीन शहीद आवास को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया. वहीं, स्वास्थ्य सहायता के आवेदन का निबटारा करने का निर्देश दिया.

गोदाम निर्माण के लिए संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश

रांची. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लैम्पस व पैक्स के गोदाम निर्माण के लिए सीओ से संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बुधवार को हुए समीक्षा बैठक के दौरान सिल्ली प्रखंड में सिल्ली व रामपुर, बेड़ो प्रखंड में बेड़ो, कांके प्रखंड में अरसंडे व पिठोरिया और लापुंग प्रखंड में मालगो के गोदाम निर्माण की जानकारी ली. वहीं, डीसी ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस साल खरीफ के लिए नोडल एजेंसी बजाज एलियांज जीआइसी को क्लस्टर प्रबंधक को त्रुटि सुधार कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया.

Thursday, December 5, 2024
Khalari
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6750aaef99d39a78506d0d66